तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2649 / 2006 / सिरोही जीता बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्रीमती अर्चना गौतम, उप राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 17.07.2025

यह निगरानी अन्तर्गत 84, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 3–4–06 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 03/2006 शीर्षक जीता बनाम सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट तहसीलदार पिण्डवाडा को प्रस्तुत करने पर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 59/2005 शीर्षक सरकार बनाम जीता अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए एवं विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी को बेदखल कर शास्ती 63/– एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 08–09–2005 को पारित कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही के समक्ष पेश की, विद्वान जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–12–2005 को अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा को एक माह कम किया जाकर दो माह किये जाने के आदेश पारित किये। प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही के निर्णय दिनांक 15–12–05 से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–04–2006 द्वारा प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दो माह के सिविल कारावास

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2649 / 2006 / सिरोही जीता बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को कम कर एक माह के सिविल कारावास की सजा को बहाल रखते हुए शेष एक माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया गया हैं। इसी निर्णय दिनांक 03–04–2006 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड़ दिये जाने की अण्डर टेकिंग दिये जाने के बावजूद भी उन्होनें प्रार्थी के विरूद्ध एक माह के सिविल कारावास का निर्णय यथावत् रखते हुए जो निर्णय दिया है वह उचित व कानून सम्मत् नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन निर्णय निरस्त किया जाकर, निगरानीधीन निर्णय से एक माह की सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी/अपीलांट वादग्रस्त आराजी के अतिक्रमी है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गोचर भूमि दर्ज है। जिसका नियमन अथवा आवंटन नहीं हो सकता है। निगरानीधीन निर्णय उचित व कानून सम्मत है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

6– विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपील अधिकारी के समक्ष विवादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड़ दिये जाने के संबंध में अण्डर टेकिंग दिये जाने के बावजूद अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध एक माह के सिविल कारावास का आदेश यथावत रखने हेतु जो निर्णय दिया गया है, वह वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा नहीं होने से उचित व विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि उसके द्वारा जो अतिक्रमण का कृत्य किया गया है। उस अतिक्रमण से प्रार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया गया है। जिससे उक्त सिविल कारावास के कठोर दण्ड से राहत दी जानी चाहिये। इसलिए न्यायहित में यह निगरानी **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है तथा अधीनस्थ तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2649 / 2006 / सिरोही जीता बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में तहसीलदार, पिण्डवाडा के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दें कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिया गया है तथा उसके द्वारा भविष्य में भी विवादित भूमि पर पुनः अतिक्रमण नही किया जावेगा। तहसीलदार, पिण्डवाडा उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों तथा मौके पर से प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाने का सत्यापन कर लें। यदि प्रार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है तो तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा पारित सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 08-09-2005 यथावत रहेगा। 8- पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	